# कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : फा.सविरा / रजि. / नियम / 2 / 59 / पार्ट–5 दिनांक 19-03-2019

## परिपत्र

प्रायः इकाई अधिकारियों द्वारा राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत संस्थाओं का पंजीकरण करने अथवा पंजीकृत संस्थाओं के संबंध में अधिनियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते समय विभिन्न बिन्दुओं पर प्रधान कार्यालय से मार्गदर्शन चाहा जाता है। अतः इस कार्यालय द्वारा पूर्व प्रसारित आदेशों को अतिलंघित करते हुए राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत पंजीयन एवं पश्चात्वर्ती कार्यवाही के सरलीकरण के संबंध में निम्नानुसार नवीन निर्देश प्रसारित किये जाते हैं, जिनकी पालना सुनिश्चित की जावे :–

**(क) पंजीकरण के संबंध में –**

1. संस्था पंजीकरण हेतु अधिनियम में न्यूनतम 7 व्यक्तियों का सदस्य होना आवश्यक है। अधिनियम इस बिन्दु पर मौन है कि वे एक ही परिवार के हों अथवा पृथक–पृथक परिवार के। अतः केवल सात से अन्यून सदस्यता की बाध्यता रखें, पृथक–पृथक परिवार से होने की नहीं।

2. यह भी पाया गया कि संस्था पंजीकरण कराने हेतु प्रस्तावकों से उस विषय का अनुभव प्रमाण–पत्र चाहा जाता है, जिस विषय के संबंध में संस्था पंजीकृत की जानी है। उल्लेखनीय है कि संस्था पंजीकरण अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान वर्णित नहीं है कि संबंधित क्षेत्र के अनुभवी व्यक्तियों की ही संस्था पंजीकृत की जावे। अतः इस शर्त हेतु प्रस्तावकों को बाध्य नहीं किया जावे।

3. किसी प्रस्तावित संस्था का नाम भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा गठित किसी विभाग, संस्थान, आयोग, किसी विश्वविद्यालय या किसी विधि के अधीन गठित किसी संस्थान, अधिकरण, राष्ट्रीय मानवाधिकार अथवा राज्य मानवाधिकार आयोग अथवा किसी राजकीय निकाय के नाम के समरूप अथवा मिलता जुलता नहीं हुआ तथा न ही ऐसा होगा जो नाम साम्य के कारण जनसामान्य में ऐसे किसी संस्थान अथवा उसकी शाखा होने का भ्रम पैदा करे। ऐसी संस्थाओं का पंजीयन नहीं करें जिनके नाम में राष्ट्रीय, मानवाधिकार अथवा राज्य मानवाधिकार, इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन एण्ड मैनेजमेंट एवं राजस्थान राज्य से संबंधित नाम इत्यादि हो जिनसे जनता में यह भ्रम उत्पन्न न हो कि यह राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित संस्था या कार्यालय है क्योंकि निजी निकायों द्वारा आम जन को भ्रमित करने के उद्देश्य से ऐसी संस्थाओं का पंजीकरण करा लिया जाता है।

4. जहाँ किसी राजकीय विभाग द्वारा प्रवर्तित किसी योजना के तहत किसी संस्था क गठन किया जाए, तो उसके गठन के संबंध में संबंधित विभाग द्वारा जारी दि निर्देश तथा यदि संबंधित विभाग द्वारा कोई आदर्श विधान नियमावली जारी क गई हो तो उसके अन्तर्गत एवं तदनुसार ही संस्था का पंजीकरण किया जान अपेक्षित है।

5. संस्था पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदन प्रारूप में वर्णित प्रविष्टियों की सत्यता की पुष्टी हेतु निरीक्षक की रिपोर्ट ली जानी आवश्यक है। पंजीयक अपनी संतुष्टि हेतु ऐसा सामान्य परीक्षण के रूप में कर सकते हैं। पंजीयन संबंधी पत्रादि (कार्यवाही रजिस्टर आदि) की प्रमाणित छाया प्रति पंजीयन के इच्छुक संस्था द्वारा निरीक्षक को उपलब्ध करायी जायेगी।

6. ऑन लाईन पंजीयन की स्थिति में भी संस्था पंजीयन कार्यालय में संस्था के पंजीयन से संबंधित पत्रावली का संधारण किया जाना आवश्यक है। उक्त पत्रावली में संस्था से संबंधित पंजीयन संबंधी अद्यतन कार्य–व्यवहार का रिकार्ड संधारित किया जाना आवश्यक है।

7. ऑन लाईन प्राप्त पंजीयन आवेदन के संबंध में रजिस्ट्रार, संस्थाऐं आवेदन पत्र का भली–भाँति अध्ययन करें तथा यदि कोई आक्षेप है तो एक बार ही आक्षेप लगायें। बार–बार आक्षेप लगाकर पंजीयन के इच्छुक व्यक्तियों को अनावश्यक परेशान न किया जाये तथा विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि में पंजीयन कार्य सम्पन्न किया जाये। अन्यथा सम्बन्धित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

8. प्रमुखतया संस्था के नाम के अनुरूप उद्देश्य होना चाहिए ताकि आम जनता में भ्र की स्थिति उत्पन्न न हो।

9. पूर्त उद्देश्य (Charitable purpose) के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय क निर्णय का अंश निम्नांकित है:–

Comment: - Charitable purpose which came within the language and spirit of th statute of Elizabeth (43 Eliz ch 4) could be grouped into four heads, (i) relief o poverty, (ii) education, (iii) advancement of religion and (iv) other purpos beneficial to the community not coming under any of the preceding heads. The wor in Act 21/1860 are, therefore, to be understood as including religious purposes al Hindu Public V. Rajdhani Puja Samithee AIR 1999 SUPREME COURT 964.

10. एक ही नाम की एक से अधिक संस्था पंजीकृत नहीं किये जाने संबंधी राजस्थ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 18 की पालना सुनिश्चित क जावे।

**(ख) कार्यक्षेत्र के संबंध में –**

1. राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 1(2) के अनु **"इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है (It extends to the whole of the state of Rajasthan)"**। अतः संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान तक ह सकता है। तथापि यह आवश्यक है कि जिस जिले में संस्था का मुख्यावास ह

गया है, उस जिले का रजिस्ट्रार, संस्थाऐं ही उस संस्था का पंजीकरण कर सकेगा, चाहे संस्था का कार्यक्षेत्र राजस्थान राज्य के अन्तर्गत कुछ भी हो।

## (ग) पुरानी पंजीकृत संस्थाओं के संबंध में :–

1. यदि कोई व्यक्ति संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत किसी संस्था के संबंध में कोई पत्रादि कार्यालय में प्रस्तुत कर इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त करना चाहता है, तो इकाई अधिकारी उसके द्वारा प्रस्तुत पत्रादि पत्रावली में शामिल कर इस आशय का प्रमाण–पत्र जारी करेगा कि उक्त पत्रादि शामिल पत्रावली कर लिया गया है।

इस कार्य को सुगम बनाने के दृष्टिगत कार्यालय में निम्न प्रकार की एक मुहर (सील) बनवाई जाकर सम्बन्धित दस्तावेज की प्रति पर अंकित कर हस्ताक्षर किया जाना उचित है:–

''राजस्थान सोसायटी अधिनियम, 1958 की धारा 19 के अन्तर्गत यह प्रमाणित किया जाता है कि यह पत्रादि संस्था के संबंध में प्रस्तुत किये गए पत्र, जो कार्यालय की पत्रावली में पृष्ठ सं.....................................से ............................तक उपलब्ध है, की प्रमाणित प्रति है।

**प्रमाणित प्रति देने की दिनांक** **नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर**

**रजिस्ट्रार संस्थाऐं**

2. प्रायः संस्थाओं के संबंध में विवाद उत्पन्न होते रहते हैं, एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाती हैं तथा पुलिस जांचे होती रहती हैं। रजिस्ट्रार, संस्था के कार्यालय इन विवादों से दूर रहें, इसलिये निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखा जाना चाहिए:–

(i) कोई पुरानी संस्था अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत प्रमाणित प्रतिलिपि लेने आती है, तो उनकी पत्रावली देखकर पूछा जाये कि धारा 4, 4–(क) की पालना कर रही है कि नहीं ?

(ii) यदि कोई संस्था धारा 4 एवं 4–(क) की अनुपालना नहीं कर रही है, तो रजिस्ट्रार, संस्थाऐं धारा 4–(ग) के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करें।

(iii) चुनाव विधान परिवर्तन, कार्यकारिणी आदि में परिवर्तन करने पर अग्रांकित सूचनाओं की तीन पदाधिकारियों से प्रमाणित छाया प्रति लिया जाये। कार्यवाही रजिस्टर की छाया प्रति (परिवर्तन आदि से संबंधित), सदस्यों को आमसभा/कार्यकारिणी की बैठक से संबंधित नोटिस की छाया प्रति, नोटिस तामीली की सूचना आदि।

(iv) सदस्यों को कार्यकारिणी से हटाया गया है तो हटाये जाने संबंधी प्रस्ताव की प्रमाणित छाया प्रति, सदस्य द्वारा त्यागपत्र देने की स्थिति में त्यागपत्र की प्रमाणित छाया प्रति तथा सदस्य की मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छाया प्रति ली जानी है।

(v) किसी संस्था के रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र/विधान नियमावली खो जाने पर डुप्लिकट प्रमाण–पत्र/विधान नियमावली की प्रमाणित प्रति की मांग की जाती है। ऐसी स्थिति में प्रमाण–पत्र खोने/चोरी होने के संबंध में संबंधित संस्था एफ.आई.आर. दर्ज करवाकर एफ.आई.आर. की छाया प्रति प्रस्तुत करे। संस्था कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर रजिस्ट्रार, संस्थाऐं से डुप्लीकेट प्रमाण–पत्र, विधान नियमावली आदि पुनः लेने हेतु प्रस्ताव ले। कार्यवाही रजिस्टर में तथ्यों एवं विषय वस्तु का उल्लेख हो तथा संस्था के तीन पदाधिकारियों से प्रस्ताव प्रमाणित कराकर प्रस्ताव रजिस्ट्रार, संस्थाऐं को प्रस्तुत करें। साथ ही इस आशय का 100/–रूपये के स्टॉम्प पेपर पर नोटेरी से प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत करे कि मूल प्रति प्राप्त हो जाने पर इसका दुरूपयोग नहीं करेंगे।

(vi) यदि किसी संस्था की पूरी कार्यकारिणी परिवर्तन कर दी गई हो तो अनियमितता की संभावना रहती है। अधिकांश सदस्य के परिवर्तन में भी अनियमितता की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः संस्था की मूल पत्रावली आदि भी मंगाया जावे। विशेष स्थिति में सत्यता के परीक्षण के उद्देश्य से सदस्य/सदस्यों के त्यागपत्र, हस्ताक्षर, अंगूठे के निशान का मिलान रजिस्ट्रार, संस्थाऐं द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत विधान संशोधन आदि पत्रादि की जांच निम्न चेकलिस्ट के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें:–

1. धारा 4 एवं 4–(क) की सूचना संलग्न है/नहों है।
2. कार्यवाही रजिस्टर में अंकित कार्यवाही विवरण संलग्न है/नहीं है।
3. आमसभा/कार्यकारिणी की बैठक आहूत करने संबंधी नोटिस तथा नोटिस की तामीली की छाया प्रति संलग्न है/नहीं है।
4. सदस्य के हटाये जाने की स्थिति में उसके हटाये जाने संबंधी प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति संलग्न है/नहीं है।
5. सदस्य के त्यागपत्र देने की स्थिति में उसके त्यागपत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न है/नहीं है।
6. पदाधिकारियों के त्याग पत्र से संबंधित 100/–रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटेरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र संलग्न है/नहीं है।
7. सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में मृत्यु प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न है/नहीं है।
8. गुमशुदगी रिपोर्ट/एफ.आई.आर. की छाया प्रति संलग्न है/नहीं है।
9. दस्तावेज संस्था के तीन पदाधिकारियों अध्यक्ष, मंत्री एवं कोषाध्यक्ष से प्रमाणित है/नहीं है।
10. इस आशय का शपथ पत्र (100/–रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटेरी द्वारा प्रमाणित हो) जिसमें यह उल्लेख हो कि मूल प्रति प्राप्त हो जाने पर दुरूपयोग नहीं करेंगे, संलग्न है/नही है।
11. विधान नियमावली के विरूद्ध चुनाव समय से पूर्व कराये गये हैं/नहीं कराये गये हैं।

12. बैठक में कोरम पूर्ण है/नहीं है।
13. बैठक में संशोधन हेतु पारित प्रस्ताव की सत्यप्रतिलिपि संलग्न है/नहीं है।
14. साधारण सभा के एक माह बाद पूर्व में संशोधन हेतु बुलायी गयी विशेष आमसभा में लिये गये निर्णय की पुष्टि हेतु दूसरी आमसभा हेतु सदस्यों को भेजे गये नोटिस की प्रति संलग्न है/नहीं है।
15. कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों के मतो द्वारा संस्था की प्रथम विशेष साधारण सभा के द्वारा संशोधन की प्रमाणित प्रति संलग्न है/नहीं है।
16. द्वितीय आमसभा की बैठक कार्यवाही की सत्यप्रति जिसमें उपस्थित सदस्यों के 2/3 मतों से पुष्टि की गई है, कि प्रमाणित प्रति संलग्न है/नहीं है।
17. तुलनात्मक स्टेटमेंट (धारा 4 व 12) से संबंधित दस्तावेज है/नहीं है।
18. संशोधित विधान की तीन पदाधिकारियों से प्रमाणित तथा प्रत्येक पृष्ठ पर तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षरयुक्त प्रति संलग्न है/नहीं है।
19. नाम परिवर्तन से संबंधित 7 सदस्यों के हस्ताक्षरों से आवेदन पत्र तथा मूल पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न है/नहीं है।

### (घ) विधान संशोधन से संबंधित कार्यवाही के संबंध में –

1. संस्था की कार्यकारिणी द्वारा संस्था के विधान में संशोधन/परिवर्तन अथवा परिवर्धन के विचारार्थ बुलाई गई विशेष साधारण सभा में भाग लेने के लिए सदस्यों को भेजे गये नोटिस की एक प्रति।
2. उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें:–

| क. सं. | संस्था की कुल सदस्य संख्या | बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या | विधान के अनुसार बैठक का कोरम | कितने सदस्यों ने संशोधन के पक्ष में मत दिया | कितने सदस्यों ने संशोधन के विपक्ष में मत दिया |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

3. संस्था की उक्त बैठक की कार्यवाही व इस बैठक में संशोधन हेतु पारित प्रस्ताव की सत्यप्रतिलिपि।
4. संस्था की उक्त विषयक साधारण सभा के एक माह बाद पूर्व में संशोधन हेतु बुलायी गयी विशेष आमसभा में लिये गये निर्णय की पुष्टि हेतु संस्था की बुलाई गई द्वितीय विशेष साधारण सभा में भाग होने के लिए सदस्यों को भेजे गये नोटिस की प्रति।
5. द्वितीय विशेष साधारण सभा की बैठक की कार्यवाही की सत्य प्रति।
6. कुल सदस्य संख्या/उपस्थित सदस्यो की संख्या/विधानानुसार उपस्थित सदस्यों में से 2/3 सदस्यों के द्वारा संस्था की प्रथम विशेष साधारण सभा के द्वारा स्वीकृत संशोधन के लिए सम्पुष्टि की प्रमाणित प्रति।
7. संस्था के तीन पदाधिकारियों के द्वारा दिया गया प्रमाण–पत्र –

[illegible] प्रमाण–पत्र / विधान नियमावली खो जाने पर [illegible]

हम निम्नहस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि संस्था के विधान में परिवर्तन, परिवर्द्धन व संशोधन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 4 व 12 के अनुसार ही किया गया है।

8. तुलनात्मक स्टेटमेन्ट निम्न प्रकार हैः–

| क्र. सं. | विधान की धारा संख्या | पंजीकृत विधान का नियम | विधान में संशोधित किया गया नियम (नया नियम) |
|---|---|---|---|
| | | | |

9. संस्था के संशोधित विधान की तीन पदाधिकारियों द्वारा प्रमाणित तथा प्रत्येक पृष्ठ पर तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षरयुक्त प्रति, जिसमें समस्त संशोधन यथा स्थान अंकित किये गये हों।

10. सोसाइटियों के नाम परिवर्तन की स्थिति में एक्ट की धारा 12–(क) एवं 12–(ख) की अक्षरशः अनुपालना की जाए।

11. नाम परिवर्तन से संबंधित 7 सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षरों से एक आवेदन–पत्र प्रस्तुत करें, साथ ही मूल पंजीयन प्रमाण–पत्र संलग्न करें।

### (ड.) संस्था / समिति के चुनाव के संबंध में :–

1. बहुधा समितियों द्वारा चुनाव कराने हेतु चुनाव अधिकारी की नियुक्ति अथवा पर्यवेक्षक नियुक्त करने हेतु मांग की जाती है। समिति का चुनाव कराना स्वयं समिति के कियाकलापों के अन्तर्गत आता है। अतः ऐरो प्रस्तावों से अपने आपको विमुख रखा जावे।

2. सामान्यतः संस्थाओं के चुनाव इत्यादि होने पर समिति द्वारा निर्वाचन परिणाम प्रस्तुत कर उसके अनुमोदन हेतु रजिस्ट्रार, संस्थाऐं से अनुरोध किया जाता है। ज्ञातव्य है कि संस्था का चुनाव रजिस्ट्रार, संस्थाऐं अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा नहीं कराया जाता है, अतः अनुमोदन करने का अधिकार रजिस्ट्रार, संस्थाऐं का नहीं है। ऐसी स्थिति में किसी आवेदक द्वारा चाहे जाने पर अधिनियम की धारा 19 के तहत राशि जमा कराई जाकर संस्था की ओर से प्रस्तुत पत्रादि, जो कार्यालय के रिकार्ड में उपलब्ध हैं की प्रमाणित प्रति जारी की जा सकती है।

### (च) रिकार्ड संधारण के संबंध में –

1. संस्था द्वारा संस्था पंजीयन से वर्तमान तक समिति का रिकार्ड संधारित किया जाना आवश्यक है। रिकार्ड यथा (1) कार्यवाही रजिस्टर (2) सदस्यता रजिस्टर (3) ऐसी पत्रावली जिसमें पत्राचार, विभागीय आदेश, निर्वाचन संबंधी पत्रादि ,परिपत्र एवं अन्य पत्रादि संधारित हों (4) रोकडबही एवं अन्य कार्यो से संबंधित रिकार्ड जो उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संपादित किये गये कार्यो से संबंधित हो। (5) जारी किये गये नोटिस आदि।

### (छ) कॉलोनी / फ्लैट्स / बहुमंजिला इमारतों से संबंधित संस्थाओं के संबंध में–

1. कॉलोनी / फ्लैट्स / बहुमंजिला इमारतों में रखरखाव(Maintenance) / विकास के उद्देश्य से विकास समिति / संस्था के पंजीयन के संबंध में समय समय पर उत्पन्न

विवादों की स्थिति को देखते हुए ऐसी समिति के पंजीयन से पूर्व पंजीयक द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट लिये जाने पर विचार किया जा सकता है।

2. कॉलोनी/फ्लैट्स/बहुमंजिला इमारतों के पंजीयन हेतु अधिकृत भूखण्डधारी/फ्लैटधारी सदस्यों का प्रस्तावित संस्था का सदस्य होना आवश्यक है तथा कॉलोनी/फ्लैट्स/बहुमंजिला इमारतों के लिये एक ही विकास समिति/संस्था पंजीकृत की जा सकेगी ताकि कॉलोनी/फ्लैट्स/बहुमंजिला इमारतों में विकास समिति के पंजीयन बाबत अनावश्यक विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो।

**(ज) संस्था/समिति में एक से अधिक कार्यकारिणी/शासी निकाय की स्थिति में जांच के संबंध में:-**

1. किसी पंजीकृत संस्था द्वारा राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 4 व 4-(क) के अन्तर्गत शासी निकाय (Executive Commitee) से संबंधित सूची दाखिल की जाती है, उसमें संस्था द्वारा एक से अधिक शासी निकाय की सूची रजिस्ट्रार संस्थाऐं के कार्यालय में दाखिल किये जाने की स्थिति में शासी निकाय की वैधता सुनिश्चित करने तथा रजिस्ट्रार द्वारा अपनी सन्तुष्टि के उद्देश्य से उसे संस्था के रेकार्ड की सामान्य जांच करने का अधिकार होगा।

इस संबंध में C.M.Z.Musliar V/S Aboobacker (KERALA) 1998 AIHC 1182 : 1998(1) KLT 136 : 1998(2) ILR (Kerala) 76 KERALA HIGH COURT W.A. No. 1494 of 1997. D/d. 8.12.1997. द्रष्टव्य है।

रजिस्ट्रार, संस्थाऐं राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 का सम्यक् रूप से अध्ययन कर अपेक्षित कार्यवाही करें। रजिस्ट्रार, संस्थाऐं की लापरवाही के कारण प्रधान कार्यालय में अनावश्यक शिकायतें/पत्रादि प्राप्त होती रहती हैं। अतः इस संबंध में रजिस्ट्रार, संस्थाऐं अपने कर्त्तव्यों का भली भाँति निर्वहन करें अन्यथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

अतः निर्देश दिये जाते हैं कि सभी रजिस्ट्रार, संस्थाऐं उनके कार्यालय में राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 से संबंधित प्रकरणों पर कार्यवाही करते समय उक्त मार्गदर्शक बिन्दुओं/निर्देशों की अनुपालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें।

**(डॉ0 नीरज कुमार पवन)**
**रजिस्ट्रार**

क्रमांक : फा.सविरा/रजि./नियम/2/59/पार्ट-5

दिनांक 19-03-2019

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-**

1. रजिस्ट्रार, संस्थाऐं एवं उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉं, (समस्त)
2. सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, प्रधान कार्यालय, जयपुर को विभागीय वेबसाइट एवं ऑन लाईन पंजीयन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

19.3.19
**संयुक्त रजिस्ट्रार (नियम)**